Serving Education for Last 40 Years

NEERAJ®

M.R.D. - 103

ग्राम विकास योजना और प्रबंध

(Rural Development Planning and Management)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Sanjay Jain*

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office:

1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office: 1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

© Copyright Reserved with the Publishers only.

Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only

Typesetting by: Competent Computers, Printed at: Novelty Printing Press

Disclaimer/T&C

1. *For the best & up-to-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.*
2. *This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board/University.*
3. *These books are prepared by the author for the help, guidance and reference of the student to get an idea of how he/she can study easily in a short time duration. Content matter & Sample answers given in this Book may be Seen as the Guide/Reference Material only. Neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss due to any mistake, error or discrepancy as we do not claim the Accuracy of these Solutions/Answers. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing, printing, composing and proofreading of these Books. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading, etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to the publishers notice which shall be taken care of in the next edition and thereafter as a good gesture by our company he/she would be provided the rectified Book free of cost. Please consult your Teacher/Tutor or refer to the prescribed & recommended study material of the university/board/institute/ Govt. of India Publication or notification if you have any doubts or confusions regarding any information, data, concept, results, etc. before you appear in the exam or Prepare your Assignments before submitting to the University/Board/Institute.*
4. *In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.*
5. *The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.*
6. *Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book on any Website, Web Portals, any Social Media Platforms – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn etc. and also on any Online Shopping Sites, like – Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal, Meesho, Kindle, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity of any NEERAJ BOOK in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book format by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.*
7. *The User agrees Not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of these Books without the written permission of the publisher. This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.*
8. *All material prewritten or custom written is intended for the sole purpose of research and exemplary purposes only. We encourage you to use our material as a research and study aid only. Plagiarism is a crime, and we condone such behaviour. Please use our material responsibly.*
9. *All matters, terms & disputes are subject to Delhi Jurisdiction only.*

Get books by Post & Pay Cash on Delivery :

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by post then please order your complete requirement at our Website www.neerajbooks.com where you can select your Required NEERAJ BOOKS after seeing the Details of the Course, Subject, Printed Price & the Cover-pages (Title) of NEERAJ BOOKS.

While placing your Order at our Website www.neerajbooks.com You may also avail the "Special Discount Schemes" being offered at our Official website www.neerajbooks.com.

No need to pay in advance as you may pay "Cash on Delivery" (All The Payment including the Price of the Book & the Postal Charges, etc.) are to be Paid to the Delivery Person at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us. We usually dispatch the books Nearly within 2-3 days after we receive your order and it takes Nearly 3-4 days in the postal service to reach your Destination (In total it take nearly 6-7 days).

Content

ग्राम विकास योजना और प्रबंध

(Rural Development Planning and Management)

Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)

Question Paper—June-2023 (Solved) 1-3

Question Paper—December-2022 (Solved) 1-2

Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1-3

Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) 1-2

Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) 1-2

Question Paper—June, 2019 (Solved) 1-4

Question Paper—December, 2018 (Solved) 1-2

Question Paper—June, 2018 (Solved) 1-2

Question Paper—December, 2017 (Solved) 1-3

Question Paper—June, 2017 (Solved) 1-2

S.No.	*Chapterwise Reference Book*	*Page*

ग्राम विकास योजना (Rural Development Planning)

1. ग्राम विकास के लिए योजना (Planning for Rural Development) 1
2. योजना प्रक्रिया (Planning Process) 13
3. बहुस्तरीय योजना (Multi-Level Planning) 22
4. जिला योजना (District Planning) 30
5. नीचे के स्तर की योजना (खंड स्तर योजना) 41
   [Grassroots Level Planning (Block Level Planning)]
6. नीचे के स्तर की योजना (ग्राम स्तर योजना) 53
   [Grassroots Level Planning (Village Level Planning)]

ग्राम विकास प्रबंध (Rural Development Management)

7. ग्राम विकास परियोजनाओं के प्रबंधन में मुद्दे 64
(Issues in Management of Rural Development Projects)

8. परियोजना आयाम पहचान और निर्माण 68
(Project Dimension, Identification and Formulation)

9. परियोजना मूल्यांकन-I (तकनीकी व्यवहार्यता) 75
(Project Appraisal-I (Technical Feasibility)

10. परियोजना मूल्यांकन-II (आर्थिक व्यवहार्यता) 80
(Project Appraisal-II (Economic Feasibility)

11. परियोजना मूल्यांकन-III (वित्तीय व्यवहार्यता) 85
(Project Appraisal-III (Economic Feasibility)

12. परियोजना कार्यान्वयन : कार्यकलाप योजना, नेटवर्क विश्लेषण 89
(Programme Implementation : Activity Planning and Network Analysis)

13. विकास परियोजनाओं की निगरानी 94
(Monitoring Development Projects)

14. परियोजना मूल्यांकन (Project Evaluation) 98

स्वास्थ्य अर्थशास्त्र (Health Economics)

15. ग्राम विकास में स्वैच्छिक प्रयास 103
(Voluntary Efforts in Rural Development)

16. स्वैच्छिक एजेंसी प्रशासन (Voluntary Agency Administration) 116

17. समुदाय आधारित कार्यक्रमों और परियोजनाओं को विकसित करना 125
(Developing Community Based Programmes and Projects)

18. सामाजिक क्रिया (Social Action) 131

19. स्वैच्छिक संगठनों का गठन और मजबूत करना 137
(Formation and Strengthening of Voluntary Organisations)

■ ■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

ग्राम विकास योजना और प्रबंध

(Rural Development Planning and Management)

M.R.D.-103

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *(i) सभी* **पाँचों** *प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

प्रश्न 1. भारत में नियोजन के सिद्धान्तों और तकनीकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें पाठ-1, पृष्ठ-2, 'योजना के सिद्धांत और तकनीक'

अथवा

प्रबन्धन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें पाठ-7, पृष्ठ-64, 'प्रबंध अवधारणा' तथा पृष्ठ-65, 'प्रबंध की प्रक्रिया'

प्रश्न 2. परियोजना मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? परियोजना मूल्यांकन के आयामों की विवेचना कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें पाठ-14, पृष्ठ-98, 'मूल्यांकन का अभिप्राय और उद्देश्य', 'आयाम'

अथवा

भारत में स्वैच्छिक प्रयास के मूल्यांकन का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें पाठ-15, पृष्ठ-113, 'स्वैच्छिक प्रयासों को मजबूत करना'

इसे भी जोड़ें–राजनीतिक नियोजन में स्वैच्छिक क्षेत्र के बढ़ते महत्व के बावजूद और इस क्षेत्र के आकार आकार और संरचना में बढ़ते शोध के बावजूद हम अभी भी इसकी रोजमर्रा की गतिशीलता के बारे में बहुत कम जानते हैं।

आठ संगठनों के साथ विस्तृत केस अध्ययन अनुसंधान पर आधारित, मूविंग पिक्चर्स इस अंतर को भरता है, स्वैच्छिक क्षेत्र के संगठनों के कामकाज का एक सुलभ और जीवंत विवरण प्रदान करता है। यह स्वैच्छिक कार्रवाई की आठ प्रमुख दुविधाओं की पहचान करता है और पता लगाता है कि विशेष संगठन इनसे कैसे निपटते हैं। यह देखता है–

- छोटे और मध्यम आकार का बुनियादी ढांचा;
- स्वैच्छिक संगठन और वे कैसे हासिल करते हैं;
- थोड़े के साथ बहुत;
- स्वयंसेवा के मूल्य और दुविधाएँ;
- रणनीतिक योजना की दुविधाएँ;
- बाहरी एजेंसियों और साझेदारी कार्य।

भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र ने समुदायों को संगठित करने और परिवर्तन के लिए लोगों की पहल को प्रेरित करने के साथ-साथ विशिष्ट मुद्दों के आसपास हस्तक्षेप के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।

सातवीं योजना में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका की औपचारिक मान्यता ने 1986 में स्वैच्छिक संगठनों और सरकार के बीच उभरती साझेदारी को उत्प्रेरित और समन्वयित करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (CAPART) की उन्नति के लिए परिषद के गठन का दस्तावेजीकरण किया।

CAPART का गठन दो एजेंसियों 'काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी' (CART) और पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया (PADI) को मिलाकर किया गया था। CAPART सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है, और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य कर रहा है। आज, यह एजेंसी भारत में ग्रामीण विकास की एक प्रमुख प्रवर्तक है, जो देश भर में 12,000 से अधिक स्वैच्छिक संगठनों को विकास पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला को लागू करने में सहायता करती है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(क) जमीनी स्तर की योजना के अर्थ और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें पाठ-6, पृष्ठ-54, 'नीचे के स्तर की योजना का अर्थ एवं क्षेत्र/विस्तार'

इसे भी देखें–आधार स्तर योजना का क्षेत्र अति विस्तृत है, इसमें अन्य निर्णायक क्षेत्र; जैसे-पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, लघु सिंचाई, मत्स्य उद्योग, ग्रामीण आवास सफाई का प्रबंध सामाजिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन अनुसूचित जाति एवं जनजाति

का विकास एवं कल्याण एवं प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य आदि हैं। हस्तक्षेप करने वाले इन सभी क्षेत्रों के अलावा पंचायत का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह ग्राम विकास के सभी क्रियाकलापों में लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित कर उनके कार्यों की सुस्पष्टता को बनाये रखे।

नीचे स्तर की योजना कैसे बनाई गई, इसे समझने से पूर्व वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं को समझना महत्त्वपूर्ण होगा। यह स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय ढांचे पर आधारित है, जहां ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, नागरिक और विकास सम्बन्धी व्यवस्था की देखभाल करती है, खंड स्तर पर खंड पंचायत। ब्लॉक पंचायत ग्राम पंचायतों को सहयोग करती है और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये तकनीकी सलाह व मार्गदर्शन करती है, यहां इस बात पर ध्यान दिया गया है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के पास मध्य स्तर की पंचायत को न रखने का विकल्प होगा, जिला स्तर पर जिला परिषद् मुख्यत: निरीक्षक और संयोजक संस्था है और राज्य और जिले से नीचे के लोगों के बीच एक संयोजक के रूप में काम करती है। एक अनिवार्य व्यवस्था जिसमें नये पंचायती राज प्रशासन के ढांचे को आधार दिया गया है, जिसमें ग्राम सभा की स्थापना, यह ग्राम सभा या ग्राम समुदाय है, जिसमें सभी वयस्क सदस्य, जो पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप पंजीकृत हैं, सम्मिलित होते हैं, उस क्षेत्र का प्रत्येक वयस्क नागरिक ग्राम सभा के माध्यम से नीचे स्तर की योजना में भाग ले सकता है, ग्राम सभा को योजना में भाग लेने का, क्रियाकलापों का निरीक्षण करने के साथ-साथ अपने क्षेत्र में कार्यान्वित कार्यक्रमों में वित्तीय स्थिति के निरीक्षण का भी अधिकार है। ग्राम पंचायत अपने सारे कार्यक्रमों में वित्तीय स्थिति के निरीक्षण के प्रति ग्राम सभा के लिये उत्तरदायी होती है, निम्न स्तरीय पंचायत की कार्यवाहियों के ऊपर ग्राम सभा का संगठन एक सजग प्रहरी की तरह नजर रखता है। बशर्ते कि सभी राज्यों ने ग्राम सभा का संगठन किया है। वर्तमान संविधान संशोधन ने पंचायती राज्य व्यवस्थाओं में संगठनात्मक एवं वित्तीय दोनों ही तौर पर दलित वर्गों की महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों के साथ आरक्षण देकर पूर्ण करना सुनिश्चित किया है। इसमें उन वर्गों को निर्णय निर्माण के पदों को प्राप्त करने के योग्य बनाना है, कमजोर वर्ग के नागरिकों, जैसे–महिलाओं, अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त मान्यतायें दी गई हैं, जिससे वे पंचायत के सभी स्तरों पर सक्रिय पदों और अध्यक्ष पदों को प्राप्त कर सकें, जहां अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये उनके क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण आरक्षित किये गये हैं, जिसमें एक तिहाई महिलायें होनी चाहिए। पंचायती राज संस्था की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रत्येक स्तर पर स्थानों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरा जाता है, पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल पांच वर्षों की अवधि के समाप्त होने से पहले नये सदस्यों के लिये निर्वाचन करवाना, विघटन की स्थिति में छ: महीनों के अंतर्गत निर्वाचन निश्चित तौर पर हो जाना चाहिये। साथ ही प्रत्येक राज्य में निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रबंध निर्देशन और नियंत्रण के लिये एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का निर्माण किया जाना, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रत्येक स्तर की पंचायतों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाता है, जिससे उन पर ग्राम विकास के लिये प्रभावशाली ढंग से काम करने का दबाव होता है।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के बीच अन्तर क्या है?

उत्तर–संदर्भ–देखें पाठ-15, पृष्ठ-104-105, 'स्वैच्छिक संगठन एवं गैर सरकारी संगठन'

(ग) सामाजिक क्रिया की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें पाठ-18, पृष्ठ-131, 'अर्थ', 'विशेषताएं'

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए–

(क) गरीबी उन्मूलन और भारतीय योजना

उत्तर–संदर्भ–देखें पाठ-1, पृष्ठ-8, 'गरीबी उन्मूलन और भारतीय योजना'

(ख) अदायगी की अवधि

उत्तर–संदर्भ–देखें पाठ-11, पृष्ठ-86, 'भुगतान वापसी अवधि'

(ग) गतिविधि योजना

उत्तर–संदर्भ–देखें पाठ-12, पृष्ठ-89, 'कार्यकलापों की योजना बनाना'

(घ) कापार्ट के उद्देश्य

उत्तर–संदर्भ–देखें पाठ-15, पृष्ठ-105, 'कपार्ट के उद्देश्य'

(ङ) महिला मुक्ति मोर्चा–दल्ली राजहरा

उत्तर–संदर्भ–देखें पाठ-18, पृष्ठ-135, 'महिला मुक्ति मोर्चा–दल्ली राजहरा'

इसे भी जोड़ें–महिला मुक्ति मोर्चा-दल्ली राजहरा-दल्ली-राजहरा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में एक शहर और नगरपालिका है। दल्ली राजहरा भिलाई स्टील प्लांट के लिए लौह अयस्क कैप्टिव खदानों का घर है, जो भारत का सबसे बड़ा एकीकृत इस्पात संयंत्र है। यहां की खदानों का काम बड़े पैमाने पर ठेकेदारों के माध्यम से मैन्युअल रूप से किया जाता है। महिलाओं ने सामाजिक कार्रवाई संघर्षों को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, 1979-80 में एक सफल संघर्ष के बाद श्रमिकों के वेतन में सुधार हुआ। 1982 में महिलाओं ने महिला मुक्ति मोर्चा (एमएमएम) नाम से अपना मंच शुरू किया।

(च) न्यास का पंजीकरण

उत्तर–संदर्भ–देखें पाठ-19, पृष्ठ-141, 'न्यास यानी ट्रस्ट का पंजीकरण'

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

Sample Preview
of
The Chapter

Published by:

NEERAJ
PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

ग्राम विकास योजना और प्रबंध
(Rural Development Planning and Management)

ग्राम विकास योजना (Rural Development Planning)

ग्राम विकास के लिए योजना
(Planning for Rural Development)

1

परिचय

किसी भी समाज व देश का विकास तभी पूर्ण माना जाता है, जब उस समाज व देश के सभी निवासियों का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन भारत जैसे देशों में पिछले कुछ समय से यह बात उभरकर सामने आई है कि विकास का उचित प्रभाव समाज के केवल कुछ वर्ग विशेषकर उच्च वर्गों एवं उच्च मध्यम वर्ग तक ही पहुँच पाया है और विकास का लाभ समाज के एक वृहद् वर्ग तक नहीं पहुँच पाया है। अत: विश्लेषण किया गया और यह महसूस किया गया कि ग्राम स्तर से नियोजन किया जाना चाहिए। ग्राम विकास योजना के निर्माण द्वारा समाज के अधिकांश वर्गों को भी विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। इसी प्रकार से सर्वांगीण विकास के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया, योजना संरचना संचालन आदि में भी पर्याप्त समयानुकूल परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है जिससे नीतियों एवं कार्यक्रमों को ग्रामीण विकास की ओर उन्मुख किया जा सके। अत: इस अध्याय में हम योजना की आवश्यकता, योजना के सिद्धान्त, तकनीक, भारत में ग्राम विकास योजना प्रणाली, विकास कार्यक्रमों, उपलब्ध संसाधनों आदि के बारे में विश्लेषण करेंगे।

अध्याय का विहंगावलोकन

योजना की आवश्यकता

योजना का तात्पर्य है एक निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्य/उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियाओं की रूपरेखा का निर्माण करना। योजना निर्माण के समय अनेक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे-लक्ष्यों का निर्धारण, लक्ष्यों का दिशा-निर्देशन, संसाधनों की उपलब्धता, विभिन्न क्रियाओं के लिए धन का आवंटन, क्रियाओं की रूपरेखा निर्माण इत्यादि।

योजना निर्माण एक वैज्ञानिक तरीका है, क्योंकि योजना निर्माण द्वारा हम विकास के लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन ला सकते हैं। योजना निर्माण एक अपरिहार्य क्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा कम समय में उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव हो जाता है, एक स्पष्ट कार्यनीति का निर्माण हो पाता है, अनेक उद्देश्यों के मध्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य का निर्धारण सरल बन जाता है, प्राथमिकता निर्धारण करना सरल होता है तथा संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता एवं उनके संवर्धन का मार्ग भी प्रशस्त होता है।

अनेक बार हमारे सामने संसाधनों की कमी सर्वप्रमुख समस्या होती है तथा उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम एवं उचित उपयोग को लेकर भी भ्रम की स्थिति होती है। इन समस्याओं के निवारण के लिए योजना निर्माण अपरिहार्य हो जाता है। किसी भी योजना के विभिन्न उद्देश्यों को समग्र रूप से दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक, संवृद्धि को बढ़ाना और दूसरा, वितरणात्मक न्याय को लागू करना। उपलब्ध संसाधनों के उपयोग द्वारा निश्चित समय एवं स्तर पर प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि करना संवृद्धि कहलाता है। उत्पादन की यह वृद्धि संसाधनों की गुणवत्ता तथा उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करती है। इसी प्रकार वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य होता है कि इस संवृद्धि का लाभ समाज के सभी वर्गों तक अधिक से अधिक समानतावादी रूप से पहुँच सके। जैसे कि वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत अनेक प्रकार की नीतियाँ आती हैं, जिनके द्वारा समाज में असमान आय को कम किया जाता है, परिसम्पत्तियों का वितरण किया जाता है ताकि परिसम्पत्तियों के स्वामित्व का लगभग समान वितरण हो सके। इसी के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सेवाओं तक सभी की पहुंच बढ़ाने, जनता का जीवन स्तर उठाने आदि से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों को भी वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत रखा जाता है।

www.neerajbooks.com

भारत में योजना की आवश्यकता–भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था में आय एवं परिसम्पत्ति वितरण में असमानता पाई जाती है। इन असमानताओं के कारण देश में निर्धनता विशेषकर ग्रामीण निर्धनता की समस्या सर्वप्रमुख है। अतः ग्रामीण विकास एक आवश्यकता के रूप में सामने आता है। इसके अतिरिक्त भारत में क्षेत्रीय असमानताएं, अनेक क्षेत्रों का पिछड़ापन, अनेक भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय समस्याएँ, जैसे–सूखा प्रवण क्षेत्र, बाढ़ प्रवण क्षेत्र भी हैं। इन सभी का सामना करने के लिए भारत जैसे देशों में योजना निर्माण अपरिहार्य हो जाता है ताकि निश्चित समय में उपलब्ध संसाधनों द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

विकास का केन्द्र बिन्दु जन सामान्य अर्थात् लोग होते हैं। इनमें भी सबसे निम्न तबके (महिला, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति) को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि एक तो इनकी संख्या सर्वाधिक है। दूसरे, ये ही समाज के सबसे असुरक्षित वर्ग हैं। तीसरे, ये ही विकास की मुख्यधारा से अछूते हैं। भारत में अभी भी अधिकतर ग्रामीण निर्धनों को सामाजिक सेवाओं, जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की उपलब्धता नहीं हो पाती है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर निम्न है, बाल मृत्यु दर उच्च है, रुग्णता, कुपोषण, पर्यावरण स्वच्छता, साफ पेयजल, आवास आदि का उचित अभाव है। अतः विकास योजना का सर्वप्रमुख लक्ष्य यह होना चाहिए ताकि गरीब एवं वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके।

योजना के सिद्धांत और तकनीक

योजना निर्माण में सिद्धांत और तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास के आयाम हेतु किसी भी राष्ट्र द्वारा अपनी नीतियों के निर्धारण में अपनी स्थिति एवं परिस्थितियों के अनुरूप सिद्धांतों का चयन अथवा निर्माण किया जाता है, तत्पश्चात योजना निर्माण। विकास हेतु भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं तथा कुछ नवीन युगानुकूल सिद्धांतों को वैकल्पिक रूप में प्रस्तुत भी किया जाता है। आरंभ में योजना के अंतर्गत अथवा विकास हेतु आर्थिक क्रियाकलापों अर्थात् अर्थव्यवस्था की उत्पादन संरचना 'प्रतिरूपण' (modellings) तथा उसके विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारकों पर ही विचार किया जाता था। अतः ये सिद्धांत विकासशील देशों के औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित होते थे।

आधुनिक परिवेश में सर्वकल्याण, जनकल्याण अथवा सामाजिक वितरण के परिप्रेक्ष्य में संवृद्धि हेतु विभिन्न मॉडलों को लागू किया गया, अतः अब स्थानीय एवं क्षेत्रीय निकायों को भी सम्मिलित किया गया और विकेंद्रीकृत-विकास योजनाओं के फलस्वरूप समावेशी विकास का मार्ग प्रस्तुत हुआ। इस दौरान विकास हेतु क्षेत्रों का विकास सिद्धांतों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

क्षेत्रीय विकास योजना सिद्धांत–क्षेत्रीय विकास संबंधी मॉडलों का सर्वप्रथम आविर्भाव पश्चिमी देशों में हुआ था। औद्योगिक रूप से विकसित इन देशों में क्षेत्रीय विकास के लिए संवृद्धिमुखी दृष्टिकोण अपनाया गया। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत यह माना गया कि आधुनिक क्षेत्रक कार्यों द्वारा उच्च संवृद्धि दर प्राप्त की जा सकती है। लेकिन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में उच्च संवृद्धि पैदा करने की अवधारणा भिन्न-भिन्न विकास सिद्धांतों पर मॉडलों में अलग-अलग थी। ये सिद्धान्त या मॉडल निम्न प्रकार के हैं–

सिद्धांत	सम्बद्ध नीति/योजना मॉडल दृष्टिकोण
(1) आर्थिक आधार गुणांक सिद्धांत	आर्थिक आधार मॉडल (गुणांक विश्लेषण)
(2) व्यापक आर्थिक संवृद्धि	*(i)* आदान-उत्पादन मॉडल *(ii)* तिनबरगेन योजना मॉडल/क्षेत्रकों/उद्योगों के लिए वृद्धिमान पूंजी उत्पादन अनुपात *(iii)* सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण *(iv)* पूंजीगत निवेश पर वापसी की आंतरिक दर उच्चतम सीमा तक बढ़ाना
(3) ध्रुवित विकास (विस्तार सिद्धांत) केंद्रीय स्थान सिद्धांत, नोदक फर्म संकल्पना	संवृद्धि ध्रुव केन्द्र कार्यनीतियां *(i)* मध्य आकार के शहर प्रमुख शहरों की ओर पलायन रोधक के रूप में *(ii)* निम्न स्तर से विकास के लिए केंद्र बिन्दुओं के तौर पर निम्न स्तर जनसंख्या केंद्र
(4) आधुनिक/नवक्लासिकी और मार्क्सवादी अवस्था सिद्धांत	*(i)* त्वरित शहरी आधार *(ii)* द्वि-क्षेत्रक संवृद्धि मॉडल *(iii)* बड़े पैमाने की पूंजी प्रधान संसाधन आधारित परियोजनाएं
(5) कृषि/भूमि उपयोग सिद्धांत	वॉन घूनेन मॉडल : कृषि भूमि उपयोग जोन में विभागीकरण या क्षेत्रीकरण का स्थानीय लाभों सहित

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

उपर्युक्त लगभग सभी सिद्धान्त एक ही बुनियादी नियम पर आधारित हैं। इस नियम के अनुसार एक ही समय में संवृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। संवृद्धि प्रारंभ में अर्थव्यवस्था के प्रमुख केन्द्रों अर्थात् ध्रुवों अर्थात् उच्च क्षेत्रों, विशेष क्षेत्रों में प्रगट होती है तथा इसके पश्चात् यह अनेक माध्यमों के द्वारा शेष भागों एवं क्षेत्रों में फैलती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि संवृद्धि को अनेक तथ्य अलग-अलग तीव्रता से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर संवृद्धि का प्रभाव विभिन्न स्वरूपों में पड़ता है। इस प्रकार आर्थिक एवं संवृद्धि 'ध्रुवों' के विकास द्वारा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी संवृद्धि पैदा की जा सकती है। "आर्थिक आधार सिद्धांत" क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में स्थानीय संसाधनों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार विनिर्माणकारी कार्यों के विस्तार के द्वारा उच्च संवृद्धि प्राप्त की जा सकती है।

विकासशील देशों में क्षेत्रीय विषमताओं, आय असंतुलन, संवृद्धि की निम्न दर, कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था, अधिक बेरोजगारी एवं सीमित तथा अल्प रोजगार इत्यादि जैसे लक्षण पाये जाते हैं। इन देशों ने भी अपने विकास के लिए क्षेत्रीय विकास मॉडल को अपनाया है। इनका क्षेत्रीय विकास मॉडल दृष्टिकोण मुख्यत: पश्चिमी देशों के विकास मॉडल से प्रेरित है लेकिन साथ ही साथ अपने देश की आवश्यकताओं को देखते हुए विकासशील देशों ने इन संवृद्धि मॉडलों का पर्याप्त पुनर्निर्माण भी किया है ताकि विकास के दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकें।

ग्राम विकास योजना की प्रणालियाँ–चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पश्चात् भारत में लघु स्तर पर योजना निर्माण पर विशेष बल दिया गया। योजना आयोग ने जिला स्तरीय योजना निर्माण पर मुख्य बल दिया तथा जिला योजना निर्माण के संदर्भ में सुझाव एवं दिशा-निर्देश दिये गये। योजना आयोग के अनुसार जिला योजना निर्माण के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए–

1. दीर्घकालिक आर्थिक क्रियाकलापों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत विकास को ध्यान में रखने वाले उपायों का निर्धारण करना।

2. तात्कालिक समस्याओं, अल्पकालिक प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों की वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण और यथार्थ मूल्यांकन के आधार पर अगले एक वर्ष तथा पांच वर्षों के लिए एकीकृत योजना का निर्माण करना।

स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभ में, विकास के लिए क्षेत्रीय अवधारणा को लिया गया तथा इस अवधारणा में संवृद्धि बिन्दुओं और आर्थिक क्रियाओं को अपनाने पर मुख्य जोर दिया गया। बाद के वर्षों में इस अवधारणा में ग्राम विकास को सर्वप्रमुखता दी गई तथा ग्राम विकास का कार्य राष्ट्रीय नीति में परिवर्तित किया गया। ग्राम विकास के द्वारा विभिन्न वर्गों तथा क्षेत्रों के मध्य आय एवं संवृद्धि की विषमता को कम करके, वितरणात्मक न्याय प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ढांचे में 'इलाका दृष्टिकोण' तथा 'लक्ष्य दृष्टिकोण' को जोड़ा गया। इस प्रकार योजना निर्माण दृष्टिकोण में एक प्रगतिशील परिवर्तन किया गया और तीन विकास श्रेणियां–1. संवृद्धि केन्द्र दृष्टिकोण, 2. क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, 3. एकीकृत विकास दृष्टिकोण के आधार पर ग्राम विकास योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया।

संवृद्धि केन्द्र दृष्टिकोण–यह दृष्टिकोण मानता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए, बढ़ते हुए संसाधनों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना होगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारिक संरचना विकास किया जा सकता है तथा इन क्षेत्रों में विकास भी किया जा सकता है। अवसंरचना विकास के मार्ग में मुख्यरूपेण दो बाधायें आती हैं– 1. वित्तीय कठिनाई, 2. निवेश की आर्थिक दक्षता। इसके अनुसार प्रदान की जाने वाली आधारित सुविधाओं के सही स्थलों का पता लगाया जाना चाहिए। जैसे जिन गांवों में जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है, वे निवेश के पूर्ण उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। अत: जनसंख्या की न्यूनतम सीमा-स्तर को ध्यान में रखकर ही सुविधाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए।

ग्रामीण संवृद्धि केन्द्र की अवधारणा निवेश के लिए उचित स्थल का पता लगाने तथा उत्प्रेरित संवृद्धि केन्द्र के रूप में कार्य करने से भी सम्बन्धित है। दृष्टिकोण को "अवस्थिति निर्धारण सिद्धान्त" तथा "केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त" द्वारा मुख्य आधार प्रदान किया गया था। अवस्थिति सिद्धांत विकास में स्थानिक कारकों के महत्व पर बल दिया जाता है। इसके अनुसार कुछ स्थितियों में आर्थिक और आधारित सरंचना सुविधायें प्रदान करके इन क्षेत्रों में संवृद्धि लाई जा सकती है। इसी प्रकार केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अन्तर्गत उन संवृद्धि केन्द्रों पर ध्यान दिया जाता है जो अपने आस-पड़ोस के स्थलों में संवृद्धि पैदा करते हैं। यद्यपि इस अवधारणा के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर सरलता से प्राप्त हो सकने वाली आर्थिक शक्ति एवं आर्थिक संसाधनों की उपेक्षा की गई है और केवल उत्प्रेरिक संवृद्धि पर ही अधिक बल दिया गया है। यह उत्प्रेरिक संवृद्धि भारतीय ग्रामीण परिवेश के लिए अधिक व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा इस दृष्टिकोण में सम्बद्ध क्षेत्र में हो रही सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के पुन: संकेन्द्रण की भावी समस्याओं एवं प्रवृत्तियों को भी ध्यान में नहीं रखा गया है।

क्षेत्र विकास दृष्टिकोण–क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, संवृद्धि केन्द्र दृष्टिकोण का विकसित एवं विस्तृत स्वरूप है। इसमें आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने के लिए स्थानीय कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है। किसी भी क्षेत्र का विकास अवसंरचना नेटवर्क तथा उपलब्ध स्थानीय आर्थिक कारकों के समुचित एवं सक्रिय प्रयोग पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए स्थानीय एवं कार्यात्मक एकीकरण अपरिहार्य होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भले ही ग्रामीण संवृद्धि केन्द्र आधारिक सरंचना सुविधाओं की व्यवस्था के लिए एक आदर्श मार्ग प्रदान करते हैं परन्तु एकीकृत विकास के लिए किसी

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

भी द्वारा के सभी आन्तरिक इलाकों को एकीकृत-बहुक्षेत्रीय योजना के क्षेत्र, योजना इकाइयों के रूप में लेना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र विकास दृष्टिकोण ग्रामीण विकास के लिए एक व्यापक ढांचा उपलब्ध कराता है। यह दृष्टिकोण क्षेत्र की गरीबी को दृष्टिगत करते हुए विभिन्न क्षेत्रीय क्रियाओं तथा संवृद्धि के स्थानिक पैटर्न के बीच संतुलन निर्माण का भी कार्य करता है। लेकिन इस दृष्टिकोण द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि आर्थिक संवृद्धि में ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों एवं समुदायों की भागीदारी हो रही है या नहीं। इस सिद्धान्त में यह आवश्यक नही है कि संवृद्धि एवं विकास का सर्वांगीण प्रभाव भारत के ग्रामों की वर्तमान स्थिति में सभी वर्गों पर पड़े या फिर सभी लोगों तक विकास का समान वितरण हो सके। इस असमान प्रभाव एवं वितरण के दो कारण माने जाते हैं–

1. जिन क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रचलन नहीं हो पाया है उन क्षेत्रों में कृषि एवं संबंधित कार्य सभी मजदूरों को पूर्ण रोजगार प्रदान नहीं कर पाते हैं।
2. ग्रामीण संसाधनों, विशेषकर भूमि पर गांव के बहुत से लोगों की पहुंच या तो नहीं है या फिर बहुत कम है।

एकीकृत ग्राम विकास दृष्टिकोण–क्षेत्र विकास दृष्टिकोण रोजगार, आय एवं परिसंपत्ति के वितरण में असमानता के प्रश्न का समाधान निकालने में विफल साबित हुआ है। अत: ग्राम विकास दृष्टिकोण को समस्याओं और ग्रामीण गरीबी की समस्याओं के निवारण के लिए ग्रामीण विकास के लिए एक नवीन दृष्टिकोण एकीकृत ग्राम विकास दृष्टिकोण का विकास किया गया है। केवल भौगोलिक आधार पर बल देकर समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं किया जा सकता है। निश्चित अभिज्ञेय समस्याओं से ग्रस्त समाज के निश्चित वर्ग की समस्याओं के निवारण के लिए अधिक सार्थक एवं लक्ष्योमुखी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए तथा लक्षित वर्गों की पहचान की जानी चाहिए। एकीकृत ग्राम विकास योजना की संकल्पना की विस्तृत अवधारणा छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) में अपनायी गई। इस अवधारणा में माना गया कि बेरोजगारी और गरीबी तथा कृषि और इससे सम्बद्ध कार्यों के विकास की संभावनाएँ भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा क्षेत्रों के अंदर भी भिन्न-भिन्न हैं। अत: विभिन्न कार्यक्रमों के एकीकरण के लिए योजना निर्माण करना होगा तथा योजना लक्ष्यों, स्थानीय जरूरतों तथा पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए स्थानीय अनुभव के लोगों को पर्याप्त भागीदारी योजना के संदर्भ में दी जानी चाहिए।

एकीकृत ग्राम विकास में मुख्यत: छोटे एवं सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा क्योंकि इनकी आर्थिक प्रगति ग्राम विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। इस नवीन एकीकृत दृष्टिकोण का लक्ष्य उन ग्रामीण परिवारों की आर्थिक गतिविधियों से संबद्ध क्षेत्र कार्यक्रमों का एकीकरण करना होगा जिन्हें रोजगार प्रदान करना तथा जिनका विकास करना प्राथमिक लक्ष्य है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत निम्न स्तर पर क्षेत्र विशेष के लिए स्पष्ट योजना निर्माण किया जायेगा।

विकास कार्यक्रम और परियोजनाएँ

पिछले चार दशकों के अन्तर्गत लाये गये ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को दो प्रमुख भागों में विभक्त कर सकते हैं–

1. क्षेत्र आधारित कार्यक्रम 2. लक्ष्य समूहोन्मुखी कार्यक्रम

क्षेत्र आधारित कार्यक्रम हैं–गहन कृषि जिला कार्यक्रम (I.A.D.P.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (D.A.A.P.), कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (C.A.D.P.) और मरुस्थल विकास कार्यक्रम (D.D.P.) आदि। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.) जैसे कार्यक्रम लक्ष्य समूहोन्मुखी कार्यक्रम हैं और ग्रामीण समाज के निश्चित वर्गों के उत्थान को लक्षित करते हैं।

कोई भी कार्यक्रम चाहे वह क्षेत्र आधारित हो या लक्ष्य समूहोन्मुखी हो, विकास परियोजनाओं के एक समूह से निर्मित होता है। जैसे-कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्म विकास परियोजना, अवसंरचना निर्माण कार्यक्रम, नहर आधुनिकीकरण कार्यक्रम आदि समाहित हैं। भिन्न-भिन्न परियोजनाओं के सेट से विकास कार्यक्रम का निर्माण होता है। अत: विकास परियोजनाओं को विकास कार्यक्रम का ''निर्माण खंड'' भी माना जाता है।

किसी भी परियोजना के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों, जैसे–जनशक्ति, मशीनरी, कच्चा माल, वित्त आदि की आवश्यकता होती है। अत: विकास परियोजना एक समयबद्ध कार्य है जो संसाधनों के निवेश से स्पष्टत: निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। यह एक अत्यन्त विशिष्ट कार्य है जो निश्चित समय सीमा एवं निश्चित क्षेत्र में बंधा होता है।

विकास परियोजनाओं के अनेक लाभ एवं हानियां भी होती हैं–

विकास परियोजनाओं के लाभ–विकास परियोजनाओं के निम्नलिखित लाभ होते हैं–

1. संसाधनों का मुख्य प्राथमिकताओं पर करना संभव बनाती है।
2. विशिष्ट भौगालिक क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करवाती है।
3. लक्षित वर्गों की कठिनाइयों समस्याओं एवं उनकी विकास आवश्यकता का पता लगाती है।
4. विकास परियोजनाएँ भूतकाल के अनुभवों, वर्तमान की आवश्यकताओं एवं भविष्य की अपेक्षाओं का एकीकरण करती हैं।
5. ये नवाचारों का प्रयोग पूर्व के प्राप्त अनुभवों के मार्गदर्शन में करती हैं।
6. विकास परियोजनाएं एक प्रकार की गहन सामाजिक प्रयोगशालायें हैं, जो विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

www.neerajbooks.com